

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक (का0)
समस्तीपुर
दिनांक 25.07.2016

सं0- का/321/यौन उत्पीड़न/VIII/पार्ट-1/लूज

सेवा में,

डा0 (श्रीमती) मोनिका सिंह, मुचिधि/समस्तीपुर

डा0 (श्रीमती) रेखा साहू, वमंचिधि/दरभंगा

डा0 (श्रीमती) अभिलाशा सिंह, प्रोफेसर (मनोविज्ञान) समस्तीपुर कॉलेज/समस्तीपुर

श्री विजय प्रकाश पंडित, मंसुआ/रेसुब/समस्तीपुर

श्री आर0 एन0 प्रसाद, मंविई/समस्तीपुर

विषय: मंडल स्तर पर यौन उत्पीड़न मामले हेतु आन्तरिक शिकायत समिति का गठन।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(D&A) 2015 GS1 - 1 दिनांक 05.03.2015 (RBE No. 15/2015) में दिये गये निर्देश के अनुसार यौन उत्पीड़न मामले में आन्तरिक शिकायत समिति का गठन एक महिला के अध्यक्षता में होना चाहिये और इस समिति में महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिये।

तदनुसार मंडल स्तर पर यौन उत्पीड़न से सम्बंधित मामले हेतु समिति का नामन मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर महोदय द्वारा निम्नवत् किया गया है :-

- डा0 (श्रीमती) मोनिका सिंह, मुचिधि/समस्तीपुर -अध्यक्ष
- डा0 (श्रीमती) रेखा साहू, वमंचिधि/दरभंगा -सदस्य
- डा0 (श्रीमती) अभिलाशा सिंह, प्रोफेसर, समस्तीपुर कॉलेज/समस्तीपुर, (उपाध्यक्ष-प्रयास) -सदस्य
- श्री विजय प्रकाश पंडित, मंसुआ/रेसुब/समस्तीपुर -सदस्य
- श्री आर0 एन0 प्रसाद, मंविई/समस्तीपुर -सदस्य

आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सतीश कुमार सिंह)
सहायक कार्मिक अधिकारी-III
कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का0)
समस्तीपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मरेप्र तथा अमरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी शाखाधिकारी/समस्तीपुर मंडल।
3. मंडल मंत्री ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एवं ओबीसी एसोसिएशन/समस्तीपुर मंडल।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का0)
समस्तीपुर